राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिग/एफ–2/नर्स श्रे.द्वि./एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–2018)/2018/ दिनांकः

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– याचिका संख्या 12335/2018 द्वारा श्री दिनेश कुमार लोधा व अन्य बनाम सरकार व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 की पालना मे अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जिन चिकित्सा संस्थानो को पीपीपी मोड़ पर संचालित किया जा रहा है जिनमें कार्यरत कर्मियों को अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 12335/2018 श्री दिनेश कुमार लोधा व अन्य बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 08.06.2018 को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय पारित किया है जिसकी पालना के संबंध मे नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2018 हेतु गठित नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 मे अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके अनुसार विज्ञापित पदों के समान कार्य एवं योग्यता के आधार पर आप द्वारा अनुभव अवधि का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने एवं सत्यापन करने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 18.05.2018 एवं 01.06.2018 में जारी किये जा चुके है। पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानो में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण जारी करने के संबंध में निर्देशित किया जाता है किः–

1. चिकित्सा संस्थान के संचालनकर्ता संस्था द्वारा उनके अधीन कार्य कर रहे कार्मिको को विज्ञापित पद के समान कार्य एवं समान योग्यताधारियो को विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुभव अवधि की गणना तिथि तक का अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड/दस्तावेज/नियुक्ति आदेश/पे–स्लीप एवं उपस्थिति पंजिका के आधार पर पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया जावे।
2. अनुभव प्रमाण पत्र केवल याचिकाकर्ता जिनके पक्ष मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है उन्हे ही जारी किया जाना है।
3. अनुभव प्रमाण पत्र मे याचिका संख्या, निर्णय दिनांक एवं न्यायालय के नाम का उल्लेख भी आवश्यक है।
4. अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने मे किसी भी प्रकार की अनियमितता आदि के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

आप द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि अनुभव प्रमाण पत्र केवल याचिकाकर्ता, जिनके पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, उन्हें ही जारी किया जावें।

उक्त निर्देशो के अतिरिक्त आपकी संतुष्टि के लिये यदि और भी कोई दस्तावेज वांछनीय हो तो उन्हे प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

Sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/एफ–2/नर्स श्रे.द्वि./एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–2018)/2018/325 दिनांकः 28.6.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5 विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2, 5 एवं एनआरएचएम) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान जयपुर।
9 समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
12 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13 रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर